भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1455
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति

1455. श्रीमती माला राय :
डॉ.जी.रणजीत रेड्डी :
श्रीमती कविता मलोथू :
डॉ कलानिधि वीरास्वामी :
डॉ वेंकटेश नेता बोरलकुंता :
प्रो.सौगत राय :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री बी.मणिक्कम टेगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए एक खोज सह मूल्यांकन समिति गठित करने और इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सरकारी नामिती को शामिल करने का है ;
(ख) यदि हां, तो समिति के गठन के लिए प्रस्तावित तंत्र क्या है और यदि नहीं, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा किस तंत्र का पालन किया जा रहा है ;
(ग) क्या ऐसे कदमों से उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की स्वायत्तता का अतिक्रमण होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार के उक्त कदमों की पूरे देश में आलोचना हुई है ;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और
(च) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र के साथ बदलने और प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, तारीख 13.04.2015 से सरकार संविधान का (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रभाव में लाई है । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है । संविधान (निन्यानवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील घोषित किया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सी) 2015 का 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के संपूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दें । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे

। आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और प्रकीर्ण मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता, बिना त्याग के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने उचित परिश्रम के पश्चात 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को पुनरीक्षित एमओपी भेजा, पुनरीक्षित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के दृष्टिकोण को 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को अवगत कराया गया था । प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के निर्णय में उन्नयन में उनके नाम की सिफारिश के समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था ।

उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 2018 की 470 में तारीख 28.03.2018 के अपने निर्णय के द्वारा प्रणाली में कमियों को उजागर किया और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ।

अन्य मामले में, मैसर्स/पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और अन्य [स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2419 की 2019] से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले के संबंध में, उच्चतम न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के तारीख 20.04.2021 के आदेश द्वारा सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया में लगने वाले समय के संबंध में अतिरिक्त समय-सीमा निर्धारित की है। यद्यपि, ये समय-सीमा अभी प्रक्रिया ज्ञापन का हिस्सा नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर अन्य मामला संख्या रिट याचिका (सिविल) 2019 का 1236 की सुनवाई करते हुए, तारीख 20.04.2021 के अपने निर्णय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानक अभिकथित किए हैं । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, सरकार ने विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के संपूरक पैरा 24 के लिए तारीख 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपबंध करते हैं । यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

एनजीएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि.) सं. 13 में तारीख 16 दिसंबर, 2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में नियत मानदंड पर एमओपी के अनुपूरण में प्रस्ताव भेजते हुए सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की क्रमश: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कोलेजियम की सहायता करने के लिए आवश्यकता सम्मिलित है । यह प्रस्ताव किया गया था कि समितियां भावी अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन कर सकेंगी और एक सुकरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी । सिफारिश करने के विनिश्चय का उपयोग

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियमों द्वारा किया जाएगा । यद्यपि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों को स्थापित करने पर सहमत नहीं हुआ था ।

तारीख 06.01.2023 के अपने हाल ही की संसूचना में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सरकार ने विभिन्न न्यायिक उदघोषणा को मद्देनजर रखते हुए एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पद बल दिया और अन्य बातों के साथ, सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में खोजबीन-सह-मूल्यांकन समिति भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति भारत सरकार और मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्रियों) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बननी चाहिए । विद्यमान, एमओपी परिकल्पना करता है कि यदि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करने की वांछा करता है तो उस पर विचार करने के लिए उसे अग्रेषित करना चाहिए । यद्यपि, इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों को कॉलेजियम से बाहर के ज्येष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों के साथ और प्रस्तावित सचिवालय द्वारा रखे गए डाटाबेस (न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उच्च न्यायालय का कॉलेजियम उक्त समिति द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल पर चर्चा कर सकता है और अत्यधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए सिफारिश कर सकता है । उपयुक्त स्तर पर कॉलेजियम पूर्व वर्णित स्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों का पैनल बनाने के लिए पूर्वोक्त आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है तथा अपेक्षित कारण दर्शाते हुए कार्यवाही कर सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव को सुसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को भेज सकता है । उक्त समितियों को पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें से संबंधित कॉलेजियम अपनी सिफारिश करेगा । उच्चतम न्यायालय से प्रतिउत्तर प्राप्त किया जाना है ।

सरकार संविधान, उसके मूल्यों और महत्वपूर्ण रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो भारत के संविधान की एक अभिन्न विशेषता है। एमओपी को अन्तिम रूप देने का उद्देश्य संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, उचित प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाना है ।

****